

उत्तराखण्ड शासन

ऊर्जा अनुभाग-01

संख्या-1/1/2023-03/01/2021 (E-File No. 50931)

देहरादून : दिनांक : 17 नवम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने व राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का लाभ जन-मानस तक पहुंचाने व दिनांक 24 जनवरी, 2023 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में हुयी बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत सोलर वाटर हीटर संयंत्रों की स्थापना हेतु कार्यवाही किये जाने के निर्देश के क्रम में योजना प्रस्तावित की गई है। सोलर वाटर हीटर संयंत्र के माध्यम से पानी को सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करके गर्म किया जाता है। इसको छत पर अथवा खुले स्थान पर स्थापित कर सकते हैं, जहां सूरज की रोशनी के माध्यम से पानी को गर्म करने के लिए इंसुलेटेड टैंक में एकत्रित किया जाता है। सोलर वाटर हीटर संयंत्र दो प्रकार के होते हैं:-

- i. Flat Plate Collector (FPC)
- ii. Evacuated Tube Collectors (ETC)

1. योजना का विवरण :-

- i. एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 तक सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 60 प्रतिशत एवं व्यवसायिक उपभोक्ताओं के लिए 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाता था, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2014 तक व्यापक रूप से सोलर वाटर हीटर संयंत्र स्थापित किये गये हैं।
- ii. वर्तमान में राज्य के निवासियों हेतु योजनान्तर्गत बजट उपलब्धता के आधार पर घरेलू उपभोक्ताओं हेतु 100 से 500 ली0 प्रतिदिन क्षमता (500 ली0 प्रतिदिन से अधिक क्षमता होने पर भी अधिकतम 500 ली0 प्रतिदिन के आधार पर अनुदान देय होगा) के सोलर वाटर हीटर पर 50 प्रतिशत अनुदान तथा गैर घरेलू उपभोक्ताओं जैसे आवासीय होटल, संस्थान अन्य आवासीय व्यवसायिक संस्थानों हेतु (राजकीय भवनों को छोड़कर) 500 ली0 प्रतिदिन से 2000 ली0 प्रतिदिन क्षमता तक अथवा इससे अधिक क्षमता के संयंत्रों पर भी प्रति उपभोक्ता 2000 ली0 प्रतिदिन क्षमता तक ही 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।
- iii. घरेलू/व्यवसायिक उपयोग हेतु 50/30 प्रतिशत अनुदान दिये जाने हेतु अनुमानित बेंचमार्क लागत निम्नवत है। (लागत में संयंत्र के साथ Cold Water Tank, Hot Water Tank, Electrical Backup तथा स्थल पर installation and Commissioning सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त संयंत्र स्थापना पर अतिरिक्त कार्य, पाईपिंग आदि की लागत का